

बिहार महादलित विकास मिशन

महादलित विकास मिशन (एक परिचय)

बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की एक स्वायत्त इकाई है, जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत विकास के लिए महादलितों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकास एवं समानता के लक्ष्य के लिए सतत प्रयासरत है।

विजन

सभी महादलितों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए समाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाते हुए समाज निर्माण में उनकी पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करना।

महादलित विकास मिशन का उद्देश्य एवं कार्य

- प्रत्येक महादलित परिवार को रहने के लिए आवास की व्यवस्था करना।
- शौचालय एवं शुद्ध पेय जल की व्यवस्था कर महादलित समुदाय के स्वच्छता स्तर को उपर उठाना।
- महादलित समुदाय के बच्चों के लिए समुचित शिक्षा एवं बच्चों की स्कूल में उपस्थिति सुनिश्चित करने की व्यवस्था करना।
- बिहार महादलित मिशन की योजनाओं को टोला स्तर पर कार्यान्वित करने हेतु विकास मित्र का चयन करना।

- व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से महादलित युवाओं एवं युवतियों के परंपरागत एवं नवीन कौशल का विकास कर अर्थोपार्जन के लिए तैयार करना।
- महादलित महिलाओं को समाजिक एवं आर्थिक रूप से सबल करना।
- आवागमन एवं संचार सुविधाओं को सुदृढ करना।
- महादलित समुदाय के परिवार को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना।

महादलित जातियाँ

बिहार महादलित आयोग की अनुशंसा पर निम्न जातियों को विकास के लिए महादलित घोषित किया गया है:-

मुसहर	भुईयां	रजवार
हरी, मेहतर	डोम	बंतर
चौपाल	नट	तुरी
भोगता	कुररियार	हलालखोर
पान	दबगर	बाउरी
कंजर	लालबेगी	घासी
धोबी	पासी	चमार

मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना

1. पोशाक योजना (एक परिचय)

महादलित समुदाय के बच्चे विद्यालय में पोशाक के अभाव में हीन भावना से ग्रसित रहते हैं। साथ ही पोशाक के कारण विद्यालय में छात्र/छात्राओं के बीच भेद-भाव बना रहता है। मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना से सरकारी विद्यालयों के उन महादलित समाज के बच्चों को प्रोत्साहित कर शिक्षा के प्रति रुचि जगाना है एवं विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना है।

2. पोशाक योजना का उद्देश्य

- पोशाक के अभाव में विद्यालय आने से वंचित महादलित समुदाय के बच्चे पोशाक पाने के लिए विद्यालय आना प्रारम्भ कर देंगे।
- विद्यालय में महादलित समुदाय के बच्चे पोशाक के अभाव में हिनभावना से ग्रसित नहीं होंगे।
- विद्यालय में महादलित समुदाय के बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी।
- महादलित समुदाय के बच्चों विद्यालय के अन्य बच्चों के साथ भेदभाव रहित वातावरण में सहजता से स्वीकार किए जाएंगे।
- विद्यालय में महादलित समुदाय के बच्चों का आत्म-विश्वास बढ़ेगा।

- महादलित समुदाय के बच्चे भी सहजता से मुख्यधारा में शामिल हो सकेंगे।
- बच्चों के बीच शैक्षणिक वातावरण का निर्माण होगा।
- शिक्षित बच्चे बड़े होकर महादलित समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सहायक होंगे।

3. योजनांतर्गत देय राशि

सरकारी विद्यालय में, महादलित समुदाय से आ रहे वर्ग 1 एवं 2 के प्रत्येक बच्चों को 500 (पाँच सौ) रुपये प्रति विद्यार्थी की दर से प्रति वर्ष पोशाक, जूता, कॉपी आदि खरीदने के लिए दिया जाना है।

4. कार्यकलाप

4.1 सूची तैयार करने की प्रक्रिया

प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी पंचायत/वार्ड (शहरी) के सरकारी विद्यालयों में वर्ग 1 एवं 2 के नियमित रूप से अध्यनरत महादलित समुदाय के छात्र-छात्राओं की सूची शिक्षा विभाग के सहयोग से प्रपत्र 'BMVM_PS_01' में तैयार करायेंगे। इसके लिए 31 मार्च 2010 तक संबंधित विद्यालय को प्रपत्र 'BMVM_PS_01' उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, ताकि 1 अप्रैल से 31 मई के बीच सूची तैयार कर 5 जून तक निश्चित रूप से प्रखंड कार्यालय को उपलब्ध हो सके। प्रखंड कार्यालय तैयार सूची को कम्प्यूटरीकृत कर सॉफ्ट कॉपी (हिन्दी यूनिकोड में) 25 जून तक राज्य मिशन कार्यालय को bmvm.hq@bmvm.org पर भेज देंगे एवं मूलप्रति के साथ सॉफ्ट कॉपी भी अपने पास सुरक्षित

रखेंगे। साथ ही कम्प्यूटरीकृत सूची दो प्रति में (एक प्रति पोशाक वितरण के लिए एवं दूसरी प्रति अगले वर्ष संशोधित सूची बनाने के लिए) विद्यालय को उपलब्ध करायेंगे। वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष विद्यालय पहले से तैयार पुराने सूची में आवश्यक संशोधन करते हुए पुराने क्रम में नया सूची प्रपत्र 'BMVM_PS_01' में तैयार करेंगे। इस कार्य में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी आवश्यक सहयोग करेंगे।

4.2 सूची का प्रेषण एवं राशि की माँग

प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के सहयोग से महादलित समुदाय के छात्र/छात्राओं की तैयार सूची के अनुसार पंचायतवार/वार्डवार (शहरी) छात्र/छात्राओं की संख्या का विवरण, प्रपत्र 'BMVM_PS_02' में तथा लाभार्थियों की संख्या के अनुसार पंचायतवार/वार्डवार वितरण हेतु संभावित स्थल चिन्हित कर, पर्वक्षक के नाम के साथ प्रपत्र 'BMVM_PS_03' में जिला परियोजना पदाधिकारी, महादलित विकास मिशन को 10 जून तक प्रेषित करेंगे।

प्रखंड विकास पदाधिकारी 500 (पाँच सौ) रुपये प्रति छात्र/छात्रा की दर से पोशाक के लिए एवं 1200 (एक हजार दो सौ) रुपये प्रति वितरण स्थल (शिविर) की दर से वितरण व्यवस्था के लिए प्रपत्र 'BMVM_PS_05' में जिला परियोजना पदाधिकारी, महादलित विकास मिशन से राशि की माँग करेंगे।

जिला परियोजना पदाधिकारी प्रखण्डवार छात्र/छात्राओं की संख्या, वितरण शिविर स्थल की संख्या के अनुसार प्रपत्र 'BMVM_PS_05' में

संभावित लाभार्थियों के बीच पोशाक वितरण सह वितरण प्रबंधन के लिए 15 जून तक राज्य परियोजना पदाधिकारी, महादलित मिशन से राशि की माँग करेंगे।

4.3 राशि का आवंटन

जिला परियोजना पदाधिकारी, राज्य द्वारा आवंटित राशि से चयनित छात्र/छात्राओं की संख्या के अनुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्राप्त माँग के आलोक में जिला पदाधिकारी से संचिका में आदेश प्राप्त कर राशि प्रखंड विकास पदाधिकारी को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

4.4 वितरण की प्रक्रिया

- राशि वितरण हेतु पूरे राज्य में एक तिथि विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी। सभी पंचायत एवं वार्ड (शहरी) में निर्धारित तिथि को वितरण-शिविर आयोजित की जाएगी।
- शहरी क्षेत्र में आवश्यकतानुसार विभिन्न वार्ड को मिलाकर वितरण स्थल निर्धारित किया जा सकता है।
- ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतवार लाभार्थियों की संख्या कम रहने पर विभिन्न पंचायत को मिलाकर वितरण स्थल निर्धारित किया जा सकता है।
- शिविर का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा पहले से निर्धारित प्रपत्र 'BMVM_PS_03' के अनुसार निर्देशित पर्वक्षक के देखरेख में पंचायत में पंचायत भवन, कोई उपयुक्त सरकारी भवन या सार्वजनिक स्थल में किया जाएगा।

- राशि का वितरण जन प्रतिनिधियों यथा ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान मुखिया, पूर्व मुखिया, वर्तमान वार्ड सदस्य, पूर्व वार्ड सदस्य तथा शहरी क्षेत्र में संबंधित वार्ड आयुक्त, पूर्व वार्ड आयुक्त की उपस्थिति में प्रपत्र 'BMVM_PS_01' के अनुसार पहले से चिन्हित छात्र/छात्राओं के बीच किया जाएगा। प्रत्येक शिविर का संचालन प्रपत्र 'BMVM_PS_03' में पहले निर्धारित पर्यवेक्षक के द्वारा प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं प्रपत्र 'BMVM_PS_04' के अनुसार जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त वरीय पर्यवेक्षक के नियंत्रण में होगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्धारित तिथि से पूर्व ही लिखित रूप से जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने का कार्य सुनिश्चित करेंगे।
- पहले से तैयार सूची, प्रपत्र 'BMVM_PS_01' के आधार पर प्रत्येक पंचायत/वार्ड में पंजी संधारित कर लाभान्वित छात्र/छात्राओं को निर्धारित राशि का भुगतान, संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक या उनके द्वारा प्राधिकृत शिक्षक के पहचान पर किया जाएगा।
- प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अधिनस्थ पंचायत सेवक, राजस्व कर्मचारी एवं पर्यवेक्षक के माध्यम से शिविर का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।
- नगद राशि वितरण में किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने हेतु शिविर पूर्व प्रचार-प्रसार एवं शिविर का

विडियोग्राफी किया जाएगा। विडियोग्राफी नहीं होने की स्थिति में फोटोग्राफी का कार्य किया जाएगा।

- नगद राशि वितरण के समय प्रपत्र 'BMVM_PS_01' में आवश्यकतानुसार आवश्यक टिप्पणी (यथा वितरित, अनुपस्थित आदि) अभियुक्ति कॉलम में लिखना अनिवार्य है।
- जिस पंचायत/वार्ड में अधिक राशि वितरित होगी वहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा राशि के सुरक्षित पहुँचाने की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी।

4.5 पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण

- जिला पदाधिकारी सम्पूर्ण गतिविधियों के प्रभावकारी पर्यवेक्षण हेतु जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारियों को प्रपत्र 'BMVM_PS_04' के अनुसार प्रतिनियुक्त कर पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे।
- जिला पदाधिकारी के नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन में योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।
- जिला कल्याण पदाधिकारी सह परियोजना पदाधिकारी, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी (प्रभारी महादलित) वितरण कार्यक्रम का पूरे जिला में समन्वय एवं गहन पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे। इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होंगे।

5. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

- प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के सहयोग से राशि वितरणोपरांत अभियुक्ति के साथ प्राप्त प्रपत्र 'BMVM_PS_01' के आधार पर पहले से तैयार सॉफ्ट कॉपी में आवश्यक संशोधन करते हुए पुनः bmvm.hq@bmvm.org पर प्रेषित करेंगे। साथ ही प्रपत्र 'BMVM_PS_07' भरकर जिला परियोजना पदाधिकारी को प्रेषित करेंगे।
- जिला पदाधिकारी, जिला परियोजना पदाधिकारी के सहयोग से जिला स्तरीय प्रगति प्रतिवेदन प्रपत्र 'BMVM_PS_08' में एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि की मांग प्रपत्र 'BMVM_PS_06' में वितरण तिथि से एक माह के अन्दर परियोजना निदेशक को प्रेषित करेंगे।
- पोशाक योजना संचालन के साथ आनेवाली नाकारात्मक टिप्पणी एवं प्रभाव पर भी ध्यान देकर उसके अपेक्षित समाधान के लिए समीक्षा की जाएगी एवं आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।
- प्रमंडल स्तर पर उपनिदेशक (कल्याण) अपने क्षेत्राधीन सभी जिलों के परियोजना पदाधिकारी, महादलित मिशन से लगातार सम्पर्क में रहकर क्षेत्र भ्रमण कर सूची तैयार करने के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई होने पर आवश्यक मार्गदर्शन या सहयोग करेंगे। 15 अगस्त तक सूची की प्रति प्राप्तकर नमूना जाँचकर अपने मन्तव्य के साथ 25 अगस्त

तक विस्तृत प्रतिवेदन परियोजना निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन को प्रेषित करेंगे।

6. गतिविधि

- योजना के कार्यान्वयन एवं अपेक्षित प्रगति के लिए योजना के प्रारंभ, मध्य एवं अन्त में प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर कार्यशाला का आयोजन करना।
- सूचना, शिक्षा एवं प्रसारण से संबंधित प्रशिक्षण एवं समीक्षा के लिए भी कार्यशाला का समय समय पर आयोजन करना।
- व्यवहारगत कठिनाईयों से संबंधित कार्यक्रम के उन्नयन की समीक्षा करना।

(सभी प्रपत्र का नमूना पुस्तिका के अन्त में संलग्न है।)

मार्गदर्शिका

मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना

कार्यक्रम समय सारणी

क्रमांक	कार्यक्रम	निर्धारित समय
1	सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षक को प्रपत्र उपलब्ध कराना	15 मार्च तक
2	प्रपत्र भरने हेतु कार्यशाला	15 मार्च तक
3	लाभार्थी सूची तैयार करना	31 मई तक
4	लाभार्थी सूची का संप्रेषण	7 जून तक
5	प्रखंड द्वारा जिला से राशि की माँग	10 जून तक
6	जिला द्वारा राशि की माँग	15 जून तक
7	जिला एवं प्रखंड को राशि का आवंटन	30 जून तक
8	नगद राशि का वितरण	25 जुलाई तक
9	प्रगति प्रतिवेदन	31 जुलाई तक
10	समीक्षा एवं मूल्यांकन कार्यशाला	15 अगस्त तक



प्रेषक

बिहार महादलित विकास मिशन

मुख्यमंत्री सचिवालय, 4 देशरत्न मार्ग (4KG), पटना, बिहार

www.mahadalitmission.org